न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर

फर्द अहकाम

श्रवण बनाम नाथूलाल

अपील संख्या :— 222/2023

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
	13.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गांवली तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 321 तस्दीक दिनांक 09.10.2003 वाके ग्राम गांवली को न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी गयी है। न्यायालय हाजा को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदत्त है। ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण के विरूद्ध श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा तस्दीक नामान्तकरण को न्यायालय हाजा में चुनौती दी गयी है जो श्रवण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर मेन्टेनेबल नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के श्रवण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर मेन्टेनेबल नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर	